ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 85

भूमि संसाधन विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2487.73	8.21	2495.94	3750.00	9.13	3759.13	2500.00	8.95	2508.95	1627.77	9.73	1637.50
पूंजी		**...**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2487.73**	**8.21**	**2495.94**	**3750.00**	**9.13**	**3759.13**	**2500.00**	**8.95**	**2508.95**	**1627.77**	**9.73**	**1637.50**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	8.21	8.21	...	9.13	9.13	...	8.95	8.95	...	9.73	9.73
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
बंजर भूमि विकास													
2.													
2.01 कार्यक्रम घटक	2501	2268.70	...	2268.70	20.00	...	20.00	3.92	...	3.92	30.00	...	30.00
	3601	3.93	...	3.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2272.63*	...	*2272.63*	*20.00*	...	*20.00*	*3.92*	...	*3.92*	*30.00*	...	*30.00*
2.02 ईएपी संघटक	2501	1.89	...	1.89	16.00	...	16.00	2.38	...	2.38	...	...	...
जोड़-		*2274.52*	...	*2274.52*	*36.00*	...	*36.00*	*6.30*	...	*6.30*	*30.00*	...	*30.00*
भूमि सुधार													
3. राष्ट्रीय भू- अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2506	112.07	...	112.07	25.90	...	25.90	1.13	...	1.13	20.00	...	20.00
	3601	101.14	...	101.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*213.21*	...	*213.21*	*25.90*	...	*25.90*	*1.13*	...	*1.13*	*20.00*	...	*20.00*
जोड़-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		**2487.73**	**...**	**2487.73**	**61.90**	**...**	**61.90**	**7.43**	**...**	**7.43**	**50.00**	**...**	**50.00**
राज्य आयोजना स्कीमें													
4.													
4.01	2552	...	...	...	350.00	...	350.00	240.00	...	240.00	150.00	...	150.00
4.02 कार्यक्रम संघटक-राज्य आयोजना	3601	...	...	...	3074.00	...	3074.00	2072.69	...	2072.69	1350.00	...	1350.00
4.03 ईएपी	3601	...	...	...	40.00	...	40.00	0.01	...	0.01	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*40.00*	...	*40.00*	*0.01*	...	*0.01*	...	...	...
जोड़-		...	...	...	*3464.00*	...	*3464.00*	*2312.70*	...	*2312.70*	*1500.00*	...	*1500.00*
5. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	...	...	...	25.00	...	25.00	18.00	...	18.00	7.28	...	7.28
5.02 कार्यक्रम संघटक- राज्य आयोजना	3601	...	...	...	195.51	...	195.51	160.55	...	160.55	65.49	...	65.49
5.03 कार्यक्रम संघटक - संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	3.59	...	3.59	1.32	...	1.32	5.00	...	5.00
जोड़- राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम		...	...	...	*224.10*	...	*224.10*	*179.87*	...	*179.87*	*77.77*	...	*77.77*
जोड़-राज्य आयोजना स्कीमें		**...**	**...**	**...**	**3688.10**	**...**	**3688.10**	**2492.57**	**...**	**2492.57**	**1577.77**	**...**	**1577.77**
कुल जोड़		***2487.73***	***8.21***	***2495.94***	***3750.00***	***9.13***	***3759.13***	***2500.00***	***8.95***	***2508.95***	***1627.77***	***9.73***	***1637.50***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
2. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2274.52	...	2274.52	36.00	...	36.00	6.30	...	6.30	30.00	...	30.00
3. भूमि सुधार	12506	213.21	...	213.21	25.90	...	25.90	1.13	...	1.13	20.00	...	20.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**2487.73**	**...**	**2487.73**	**61.90**	**...**	**61.90**	**7.43**	**...**	**7.43**	**50.00**	**...**	**50.00**
राज्य योजना:													
1. पूर्वोत्तर परिषद	43601	...	...	...	375.00	...	375.00	258.00	...	258.00	157.28	...	157.28
2. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	43601	...	...	...	3114.00	...	3114.00	2072.70	...	2072.70	1350.00	...	1350.00
3. भूमि सुधार	43601	...	...	...	195.51	...	195.51	160.55	...	160.55	65.49	...	65.49
जोड़ - राज्य योजना		**...**	**...**	**...**	**3684.51**	**...**	**3684.51**	**2491.25**	**...**	**2491.25**	**1572.77**	**...**	**1572.77**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. भूमि सुधार	43602	...	...	...	3.59	...	3.59	1.32	...	1.32	5.00	...	5.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**3.59**	**...**	**3.59**	**1.32**	**...**	**1.32**	**5.00**	**...**	**5.00**
जोड़		**2487.73**	**...**	**2487.73**	**3750.00**	**...**	**3750.00**	**2500.00**	**...**	**2500.00**	**1627.77**	**...**	**1627.77**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2&4. **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड घटक):** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड घटक) पिछली एकीकृत वाटरशेड प्रबन्ध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को मूल संशोधित कार्यक्रम में समेकित कर दिया गया है। यह स्कीम वाटरशेड विकास परियोजनाओं, 2008 के लिए जारी सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इसकी लागत मानक मैदानी क्षेत्र के लिए 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक है। राज्य, जिला, परियोजनाओं तथा ग्राम स्तर पर समर्पित संस्थानों के घटक, उत्पादन प्रणाली और लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए सूक्ष्म उद्यमों तथा भूमिहीन लोगों के लिए आजिविका गतिविधियों को आईडब्ल्यूएमपी कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। उच्चस्तरीय अन्तरणों की दृष्टि से राज्य बढ़े हुए संसाधन के पूल में हिस्सा बटा सकते हैं।

3. **राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** भूमि सुधारों के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के अन्तर्गत तथा इसके अलावा अधिकारों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण(आरओआर), नक्शों के डिजिटाईजेशन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, पंजीकरण के कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कर्मचारियों और कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने तथा उनका क्षमता निर्माण करने, भूमि अभिलेखों तथा पंजीकरण कार्यालयों के बीच सम्पर्क तथा तहसील/तालुक/सर्किल/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबंधन केन्द्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों को जिले में समेकित किया जाना है और कार्यान्वयन की इकाई जिला है। 12वीं योजना के अन्त तक देश में सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आशा है। एनएलआरएमपी का अंतिम लक्ष्य भू-स्वामित्व का निश्चित रूप से निर्धारण करने की एक प्रणाली विकसित करना तथा देश में अनुमान के आधार पर भू-स्वामित्व का निर्धारण करने की प्रणाली को समाप्त करना है। एनएलआरएमपी के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय परियोजना/प्रस्ताव स्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। अभी तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और 450 जिलों को कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

केंद्रः चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों जिनमें क्रम सं. 2 और 3 में कहा गया है कि राजस्व व्यय राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा के अनुसार राज्यों के वित्त पोषण का पैटर्न बदला जा रहा है। वित्त पोषण पैटर्न में काफी सुधार किए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम का समग्र व्यय कम नहीं होगा।